न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
जमावन्दी रद्दीकरण वाद संख्या–163/2013
निर्मला देवी बनाम राजेश कुमार सिंह एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
08/05/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका निर्मला देवी, पत्नी–अनिल कुमार झा उर्फ भगवान झा, ग्राम–वलभद्रपुर टोले कविलपुर, थाना–बहादुरपुर, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–33/12–13 निर्मला देवी बनाम राजेश कुमार सिंह एवं अन्य में दिनांक 13.08.13 को पारित आदेश के विरूद्ध वाद आवेदन दायर किया गया। आवेदिका की ओर सें दाखिल वाद आवेदन का प्रतिग्रहण के बिन्दु पर विस्तारपूर्वक सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकरी, बहादुरपुर द्वारा दाखिल खरिज वाद सं0–894/12–13 में दिनांक 14.08.2012 को पारित आदेश से कायम जमाबन्दी सं0–8319 को रद्द करने हेतु अपर समाहर्त्ता, दरभंगा के न्यायालय में जमाबन्दी रद्दीकरण वाद सं0–33/12–13 निर्मला देवी बनाम राजेश कुमार सिह दायर की गयी थी जिसमें अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा दिनांक–13.08.2013 को पारित आदेश से मामला दाखिल खारिज अपील से संबंधित रहने के कारण आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान यह तथ्य न्यायालय को स्पष्ट करने में असफल रहे कि प्रश्नगत मामला किस प्रकार जमाबन्दी रद्दीकरण अपील से संबंधित है। अतएव अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम–2011 की कंडिका 08 में निहित प्रावधान के आलोक में आदेश पारित किये जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अवएव आवदिका द्वारा दाखिल वाद आवेदन खारिज किया जाता है। 8/5/15 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	